स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 300, दिनांकः 28.11.2020

दूसरे व्यक्ति के शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर फर्जी तरीके से जनपद बाराबंकी में नियुक्त शिक्षक को एस0टी0एफ0 ने किया गिरफ्तार।

दिनांक 27–11–2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 द्वारा श्री सूरज कुमार उपाध्याय पुत्र मदन गोपाल उपाध्याय निवासी ग्राम व पो0 चौमुखा, जनपद महराजगंज वर्तमान में सहायक अध्यापक, पू0मा0वि0 हरखी, घुघुली, जनपद महराजगंज के शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर प्राथमिक विद्यालय, कमियार, जनपद बाराबंकी में प्रधानाध्यापक के पद पर सूरज कुमार उपाध्याय के नाम से नियुक्त फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

सुभाष पाण्डेय पुत्र राम सूरत पाण्डेय निवासी ग्राम रीठा मड़पौना, थाना धनघटा, जनपद संतकबीरनगर वर्तमान नियुक्ति प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय कमियार, विकास खण्ड पूरेडलई, जनपद बाराबंकी।

बरामदगीः–

1. 02 अदद मोबाइल फोन
2. रूपया–1260/– नगद

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

बी0एस0ए0 कार्यालय, जनपद बाराबंकी, दिनांकः 27–11–2020, समय 20:30 बजे

एस0टी0एफ0 लखनऊ मुख्यालय को फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी तरीके से शिक्षक नियुक्त होने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिसके क्रम में मानव संपदा पोर्टल उ0प्र0 में फीड डाटा का अनुश्रवण करने पर विभिन्न जनपदों से दूसरे व्यक्ति के शैक्षिक दस्तावेज के आधार पर अथवा कूटरचित अंकपत्र के आधार पर 76 फर्जी शिक्षकों के बारे में एस0टी0एफ0 मुख्यालय, उ0प्र0 को सूचना प्राप्त प्राप्त हुयी थी। जाँच व कार्यवाही के क्रम में श्री अमिताभ यश, पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 व श्री अनिल सिंह सिसौदिया, प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यसेन यादव को आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया, जिसके अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।

दि0–27.11.2020 को एस0टी0एफ0 टीम खण्ड शिक्षा अधिकारी पूरेडलई, जनपद बाराबंकी के कार्यालय में जाकर सूची में अंकित सूरज कुमार उपाध्याय, प्रधानाध्यापक, प्रा0वि0 कमियार, जनपद बाराबंकी के बारे में खण्ड शिक्षा अधिकारी पूरेडलई से जानकारी प्राप्त की गई व सूरज कुमार उपाध्याय को तलब कराया गया, जिस पर श्री सूरज कुमार उपाध्याय उपस्थित आये। एस0टी0एफ0 टीम खण्ड शिक्षा अधिकारी पूरेडलई से अभिलेख प्राप्त कर सूरज कुमार उपाध्याय को साथ लेकर वास्ते तस्दीक अभिलेख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

जनपद बाराबंकी के कार्यालय में लेकर आये, जहां पर बी0एस0ए0 बाराबंकी मौजूद मिले, जिनको प्रकरण से अवगत कराया गया। जाँच आख्या/अभिलेखानुसार डी0ए0वी0 नारंग इण्टर कालेज घुघुली, जनपद महराजगंज के कार्यालय अभिलेख में सूरज कुमार उपाध्याय पुत्र मदन गोपाल उपाध्याय के मूल निवास का पता ग्राम व पो0 चौमुखा, जनपद महराजगंज अंकित पाया गया, जो वर्तमान में सहायक अध्यापक के पद पर पर पू0मा0वि0 हरखी, घुघली महराजगंज में नियुक्त है। पू0मा0वि0 हरखी, घुघली महराजगंज में नियुक्त सूरज कुमार उपाध्याय व प्रा0वि0 कमियार जनपद बाराबंकी में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त सूरज कुमार उपाध्याय के शैक्षिक दस्तावेज एक ही पाये गये।

एस0टी0एफ0 टीम द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों व वास्तविक सूरज कुमार उपाध्याय के फोटो को दिखाते हुए मौके पर उपस्थित सूरज कुमार उपाध्याय, प्रधानाध्यापक, प्रा0वि0 कमियार बाराबंकी से इस विषय में सख्ती से पूंछतांछ की गई तब बताया कि उसका असली नाम सुभाष पाण्डेय पुत्र राम सूरत पाण्डेय निवासी ग्राम रीठा मड़पौना, थाना धनघटा, जनपद संतकबीरनगर है। उसकी जन्मतिथि दिनांक–02.07.1962 है। हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 1977 में कृषक औद्योगिक पाल इण्टर कालेज, हरिहरपुर, संतकबीरनगर से, इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 1979 में भोला राम मसकरा इण्टर कालेज, सहजनवा, गोरखपुर से व स्नातक परीक्षा वर्ष 1982 में ए0पी0एन0 महाविद्यालय, जनपद बस्ती से उत्तीर्ण किया है, उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। वर्ष 2011 में उसकी मुलाकात बाराबंकी में नियुक्त सहायक अध्यापक गिरिजेश कुमार त्रिपाठी पुत्र राम प्रसाद निवासी ग्रा0 गोपालपुर झगहा, गोरखपुर से हुई, जिसने उससे एक लाख रूपया लेकर सूरज कुमार उपाध्याय के नाम से सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी लगवाया था। बी0एस0ए0 बाराबंकी कार्यालय द्वारा सूरज कुमार उपाध्याय के नियुक्ति से संबंधित अभिलेख व शैक्षिक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करायी गयी, जिससे सुभाष पाण्डेय पुत्र राम सूरत पाण्डेय निवासी ग्राम रीठा मड़पौना थाना धनघटा के विरूद्ध फर्जी नियुक्ति व कूटरचना के संबंध में साक्ष्य मौजूद पाये गये। एस0टी0एफ0 टीम द्वारा दिनांक–27.11.2020 को समय 20:30 बजे उसे जुर्म धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि से अवगत कराते हुये गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त सुभाष पाण्डेय पुत्र राम सूरत पाण्डेय निवासी ग्राम रीठा मड़पौना, थाना धनघटा, जनपद संतकबीरनगर (प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय कमियार, बाराबंकी) एवं अभियुक्त गिरिजेश कुमार त्रिपाठी पुत्र राम प्रसाद निवासी ग्रा0 गोपालपुर झगहा, गोरखपुर के विरूद्ध कोतवालीनगर जनपद बाराबंकी में मु0अ0सं0–1082/2020 धारा–409, 419, 420, 467, 468, 471, भादवि पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।